

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / COCHIN SHIPYARD LIMITED

कोच्ची /KOCHI - 15

(कार्मिक व प्रशासन विभाग)/(P & A Department)

सं/ No. पीएंडए/P&A/18(219)/2020

तिथि/ Date: 18 दिसंबर /Dec 2021

सीएसएल अंडमान पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू) के लिए कार्यपालकों का चयन
SELECTION OF EXECUTIVES FOR CSL ANDAMAN SHIP REPAIR UNIT (CANSRU)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ग्रुप चर्चा और वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अनुसूची – सं.
SCHEDULE FOR GROUP DISCUSSION & PERSONAL INTERVIEW THROUGH
VIDEO CONFERENCING- REG

1. कृपया सीएसएल अंडमान पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू) में कार्यपालकों के पदों में चयन हेतु दिनांक 10 जुलाई 2020 की रिक्ति अधिसूचना सं. पीएंडए/18(219)/2020, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर प्रकाशित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उप प्रबंधक (मेकानिकल) और उप प्रबंधक (सुरक्षा) के पदों के लिए पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण से संबंधित दिनांक 25 अक्टूबर 2021 की अनुसूची का संदर्भ लें।

Please refer Vacancy Notification No. P&A/18(219)/2020 dated 10 July 2020 for selection to the posts of Executives in CSL AN Ship Repair Unit (CANSRU), and Schedule dated 25 Oct 2021 regarding Power Point Presentation for the posts of Deputy Manager (Mechanical) and Deputy Manager (Safety), through Video Conferencing published on Cochin Shipyard Limited (CSL) website www.cochinshipyard.in.

2. दिनांक 25 अक्टूबर 2021 की अनुसूची के खंड (2) के अनुसार, लघुसूचीगत उम्मीदवारों के लिए पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण आयोजित किया गया था और नीचे दी गई पंजीकरण संख्या वाले उम्मीदवारों को दिनांक 30 दिसंबर 2021 से 04 जनवरी 2022 तक 0830 बजे शुरू होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ग्रुप चर्चा और वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विवरण और समय लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ईमेल द्वारा बुलावा पत्र के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।

As per clause (2) of the Schedule dated 25 Oct 2021, Power Point Presentation has been conducted for the short-listed candidates and the candidates with registration numbers given hereunder are short-listed for **Group Discussion and Personal Interview** through Video Conferencing, from **30 December 2021 to 04 January 2022 commencing from 0830 Hrs.** Details and time of the Video Conferencing shall be informed separately through call letters by email to the shortlisted candidates.

क्र.सं. Sl No.	पद का नाम, ग्रेड व रिक्तियों की संख्या Name of Posts, Grade & No. of Vacancies	ग्रुप चर्चा और वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से लघुसूचीगत उम्मीदवारों की पंजीकरण संख्या / Reg. Nos. of Provisionally Short-listed Candidates for Group Discussion & Personal Interview	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तिथि Date of Video Conferencing
1.	Deputy Manager (Mechanical) E2 Grade, 6 posts (3 UR, 1 OBC, 1 SC, 1 ST)	50430920, 50432796, 50443711, 50461885, 50469027, 50469454	30.12.2021 (Thursday)
		50480423, 50482094, 50482651, 50491556, 50497088, 50499934	31.12.2021 (Friday)
		50508611, 50515391, 50519061, 50525019, 50525070, 50525615, 50527911	03.01.2022 (Monday)
2.	Deputy Manager (Safety) E2 Grade, 1 post (UR)	50441092, 50475605, 50511820, 50527282	04.01.2022 (Tuesday)

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ग्रुप चर्चा और वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्रों को अस्थायी रूप से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ई-मेल द्वारा अलग से भेजा जाएगा। कृपया नोट करें कि बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। ई-मेल द्वारा बुलावा पत्र न प्राप्त होने के मामले में, उम्मीदवारों को दिनांक 23 दिसंबर 2021 तक ईमेल career@cochinshipyard.in द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना चाहिए। **Call letters for the Group Discussion and Personal Interview through Video Conferencing shall be sent by e-mail to the provisionally short-listed candidates separately. Please note that the call letters shall not be sent by post.** In case of non-receipt of call letter by e-mail, candidates should inform the undersigned vide e-mail career@cochinshipyard.in latest by 23 December 2021
4. लघुसूचीगत उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना है कि वे चयन प्रक्रिया के लिए भाग लेने से पहले दिनांक 10 जुलाई 2020 की रिक्ति अधिसूचना सं. पीएंडए/ 18(219)/2020 में विज्ञापितानुसार सभी पात्रता अपेक्षाएं यानी आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों की पहचान का सत्यापन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आरंभ में किया जाएगा।
Short-listed candidates should ensure that they fulfill all the eligibility requirements viz. age, qualification, experience, caste, disability etc, as advertised vide Notification No. P&A/18(219)/2020 dated 10 July 2020 before attending the

selection process. Verification of identity of candidates shall be done at the start of the Video Conferencing.

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड (मूल में) के साथ बुलावा पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे। बुलावा पत्र और आधार कार्ड (मूल में) प्रस्तुत न करनेवाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आगे के चयन के लिए भाग लेने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

Candidates attending the selection process through Video Conferencing shall present the copy of call letter along with Aadhar Card (in Original) for Identity Verification. Those who do not produce the call letter and Aadhar Card (in Original) shall not be allowed to appear for the Video Conferencing and further selection.

6. चयन संबंधी सभी अनुदेश बुलावा पत्र में विस्तृत रूप से दिया गया है। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र में दिए सभी अनुदेशों का पालन करना है।

All selection related instructions are detailed in the call letter. Candidates are to abide by all the instructions in the call letter.

7. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के लिए आवश्यक चीज़ें जैसे कि बैंडविड्थ और सिस्टम आवश्यकताएं (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत से पहले पूरी की जाएं।

Candidates shall ensure that prerequisites for the video conferencing facility such as the bandwidth and system requirements (software and hardware), are fulfilled prior to start of the video conferencing.

8. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करने से पहले सीएसएल को लिखित जानकारी के साथ किसी भी सिस्टम मुद्दों या कनेक्टिविटी मुद्दों को सुधारने के लिए उम्मीदवार ज़िम्मेदार होंगे। उम्मीदवार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉग इन करने में विफलता और / या निर्धारित तिथि और समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेना और / या कनेक्टिविटी या किसी अन्य मुद्दों के कारण साक्षात्कार अपूर्ण रहने को चयन प्रक्रिया से अनुपस्थित माना जाएगा। सीएसएल अपने विवेकाधिकार पर इस तरह के चयन को पुनर्निर्धारित कर या नहीं कर सकता है।

Candidates shall be responsible to rectify any system issues or connectivity issues with written information to CSL prior to start of the video conferencing. Failure from the part of the candidate to log in to the video conferencing and / or not attending the selection process through video conferencing on the stipulated date and time and / or the selection process remain incomplete due to connectivity or any other issues, shall be treated as absence from the selection process. CSL may or may not reschedule such selection at its own discretion.

9. उम्मीदवार किसी भी बाहरी विक्षेपों, रुकावट, आवाज़ आदि और कार्यालयीन ड्रेस कोड (जैसा कि बुलावा पत्र में दिया गया है) के बिना सुखद प्राकृतिक सेटिंग / पृष्ठभूमि के साथ, उचित ऑनलाइन शिष्टाचार के हिस्से के रूप में एक पेशेवर सेटिंग सुनिश्चित करेगा।

Candidates shall ensure a professional setting as part of proper online etiquette, with pleasant natural setting/background, without any external disturbances, interruptions, sounds etc., and official dress code (as given in the call letter).

10. उम्मीदवारों को बैठक में होने वाली विक्षेपों को सीमित करने पर ध्यान देना चाहिए जैसे त्वरित चाल, कागज़ों की झुनझुनाहट, कुर्सियों की आवाज़ आदि से बचना चाहिए।

Candidates shall take note to limit the meeting distractions to the extent possible, by avoiding quick movements, rattling of papers, chair squeaks etc.

11. उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान अपना कैमरा और मैक्रोफोन को चालू रखना सुनिश्चित करेंगे।

Candidates shall ensure to keep their cameras and microphones switched on during the selection process.

12. उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान या सहायता हेतु किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गैजेट का उपयोग नहीं करेंगे। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चयन प्रक्रिया में भाग लेने के दौरान अकेले हैं / और कोई तीसरा पक्ष / व्यक्ति चयन प्रक्रिया में उसका / उसकी सहायता या समर्थन नहीं करेगा। उपर्युक्त किसी भी कर्म को अनुचित/कपटपूर्ण व्यवहार माना जाएगा और उम्मीदवारी रद्द करने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी।

Candidates shall not use any other electronic items or gadgets during the video conferencing for the purpose of recording the selection process or for assistance during the selection. The candidates shall ensure that he / she is alone while attending the selection process through the video conferencing and no third party / person shall assist or support him / her in the selection process. Any of the above acts shall be considered as unfair / fraudulent practice and shall entail appropriate action including cancellation of the candidature.

13. संपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रक्रिया गोपनीय होगी। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद सामग्री की गोपनीयता बनाए रखेंगे। उम्मीदवार किसी तीसरे पक्ष को सामग्री रिकॉर्ड या प्रसारित या किसी भी वास्तविक / यथार्थ मीडिया में प्रकाशित नहीं करेंगे। सीएसएल द्वारा उचित समझे जाने पर कर्तव्य का कोई भी उल्लंघन, उम्मीदवारी को रद्द करने और / या कानूनी कार्रवाई लेने पर मजबूर किया जाएगा। यह गोपनीयता दायित्व चयन प्रक्रिया की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगा, और उम्मीदवारों को बुलावा पत्र के साथ भेजे गए निर्धारित प्रारूप में चयन प्रक्रिया से पहले इस ओर एक वचन पत्र जमा करने की आवश्यकता होगी।

The entire video conferencing process shall be confidential. The candidates shall maintain the confidentiality of the content throughout the selection process and thereafter. The candidates shall not record or transmit the content to any third party or publish the same in any real / virtual media. Any violation of the obligation shall entail cancellation of the candidature and / or attract legal action, as deemed appropriate by

CSL. This confidentiality obligation would be valid for a period of three years from the date of conduct of selection, and **the candidates shall be required to submit an undertaking to this extent prior to the selection process in the prescribed format sent along with the call letter.**

14. **लघुसूचीगत उम्मीदवार के मूल प्रमाणपत्रों को सीएसएल द्वारा तय किए गए कार्यभार ग्रहण करते समय या किसी अन्य स्थिति पर सत्यापित किया जाएगा। उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी होगी जो आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन है। सत्यापन/ कार्यभार ग्रहण करते समय, यदि उपर्युक्त लघुसूचीगत उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल प्रमाणपत्र या अन्य किसी स्थिति में, यह पाया जाए कि उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना गलत/ असत्य पाया गया तो, उन उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया हेतु विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी नोटिस के उनकी उम्मीदवारी रद्द/ अस्वीकार की जाएगी।**

Original Certificates of the short-listed candidates shall be verified at the time of joining or at some other stage as decided by CSL. Candidature is purely provisional subject to verification of original certificates in proof of age, qualification, experience, caste, disability, medical fitness etc. At the time of verification/joining, if the candidates short-listed above are found not meeting the eligibility requirements or fail to produce certificates in original or if at any stage, it is found that any information furnished by the candidate is false/incorrect, the candidate shall not be considered for selection and candidature will be cancelled/rejected without further notice.

15. चयन प्रक्रिया या अन्य किसी भी स्थिति में अयोग्यता के मामले में आवेदन अस्वीकार करने के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

No correspondence regarding the rejection of application in case of ineligibility during the selection process or at any other stage shall be entertained.

16. बुलावा पत्र की जारी और केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए चयन प्रक्रिया में भाग लेना, आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगा या यह पात्रता मानदंड को पूरा करने की एक पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं बनता है, और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हक नहीं दिया जाएगा।

Issue of call letter and mere attending the selection process through Video Conferencing shall not confer any right to the applicant of acceptance of candidature or cannot be construed as an acknowledgement of fulfilling the eligibility criterion or does not constitute an offer of appointment, and will not entitle the applicant to any claim for employment in CSL.

17. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि सीएसएल द्वारा सूचितानुसार निर्धारित तिथि और समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए चयन प्रक्रिया के लिए उपस्थित रहें। कृपया नोट करें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तिथि एवं समय के परिवर्तन के लिए अनुरोध को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

Candidates are requested to appear for the selection process through video conferencing on the stipulated date and time as informed by CSL. Please note that

request for changing the date and time of the Video Conferencing shall not be entertained.

18. प्रशासनिक या तकनीकी या ऐसे अन्य कारणों के आधार पर, सीएसएल चयन प्रक्रिया की अनुसूची को अगले दिन या बाद की तारीख तक विस्तारित करेगी और उम्मीदवार को तदनुसार योजना बनाने की सलाह दी जाती है।

Depending upon administrative or technical or such other reasons, CSL reserves the right to extend the schedule of the selection process to the following day or on a later date, and candidates are advised to plan accordingly.

19. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि चयन से संबंधित सभी अद्यतन के लिए सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ) लगातार देखें।

Candidates are advised to frequently visit CSL website (Career page) for all updates related to the selection.

20. उपर्युक्त अनुसूची में किसी परिवर्तन को केवल सीएसएल वेबसाइट में ही अधिसूचित की जाएगी।

Any changes in the above schedule shall be notified on CSL website only.

21. दिनांक 10 जुलाई 2020 के विज्ञापन अधिसूचना सं. पीएंडए/ 18(219)/2020 के अन्य नियम व शर्तें लागू होंगी।

Other terms and conditions of the advertisement Notification No. P&A/18(219)/2020 dated 10 July 2020 shall apply.

22. आगे कोई स्पष्टीकरण के लिए, कृपया ई-मेल career@cochinshipyard.in द्वारा संपर्क करें।

For any further clarification, please contact us vide e-mail career@cochinshipyard.in.

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“CANVASSING IN ANY FORM WILL BE A DISQUALIFICATION”

Sd/-

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

DEPUTY GENERAL MANAGER (HR)